

8/1/2021

भाधिवक्ता दोगालाल जाट के निवेदन  
पर पत्रावली सिंगे से तलब की  
गई। पत्रावली पेश हुई। वकील वादी  
हाजिर। वादी स्वयं दालि वादी  
की पहचान वकील वादी द्वारा  
की गई। हाजिर वकील वादी  
आदेशिका पर "कार्यवाही नहीं  
पाएता है" आदेश कर निवेदन

कार्यवाही उई  
पाएता है  
जापीकाथ  
→ 10/1/2021

→  
किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी  
राजीनामा हो चुका है। अतः प्रकरण में कार्यवाही  
समाप्त की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया।  
हाजिर वकील वादी द्वारा की गई वेदस वाक्य विद्वा  
की एक तरफा सुना गया। मनन किया। वादी  
स्वयं अपना वाद पत्र स्वयं नहीं चलना चाहते हैं  
एसी स्थिति में वकील वादी के निवेदन को स्वीकार  
किया जाता है। वादी का वाद वाक्य स्थान  
निषेधाज्ञा के विद्वा में खरिज किया जाता है।  
पत्रावली की गवना निर्गित इन्द्रज की जाकर  
बस आवश्यक कार्यवाही अभिलेखाकार भिजवाई  
जावे। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया  
जाकर सुनाया गया